फाइल संख्या -29-1/2016-हिन्दी
भारत सरकार
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

5वां तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003.
दिनांक: 02.03.2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरकारी कामकाज में सुगम, सरल और सहज हिन्दी का प्रयोग।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के दिनांक: 21.01.2016 के पत्रांक-ई 11011/11/2015-हिन्दी के अनुसरण में जो कि सरकारी कामकाज में सुगम, सरल एवं सहज हिन्दी के प्रयोग से संबन्धित है, आप समस्त अधिकारियों/ कर्मियों के ध्यानाकर्षण एवं अनुपालन हेतु निम्न रूप से प्रस्तुत है:

(i) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी के सुगम, सरल और सहज रूप में प्रयोग पर बल दिया जाता रहा है। एवं यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने कार्य निष्पादन में सरल व सुपाठ्य हिन्दी का अधिक से अधिक अनुप्रयोग कर इसे प्रोत्साहित करें।

(ii) राजभाषा विभाग के सचिव ने अपने पत्र के माध्यम से समस्त मंत्रालयों/ विभागों से हिन्दी के सरल रूप का प्रयोग उच्चतम स्तर पर करने हेतु बल दिया है ताकि हिन्दी केवल अनुवाद की भाषा न रहकर सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में प्रतिस्थापित हो सके।

(iii) . कार्यालय के समस्त कार्मिकों से निवेदन है कि वे स्वतः प्रेरणा से हिन्दी की सरलता, सुगमता व सहजता पर विशेष ध्यान देते हुए राजभाषा हिन्दी में कार्य करें एवं मुख्य रूप से टिप्पणी एवं मसौदा लेखन में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर इसे प्रोत्साहित करें।

(न.कु.गौतम)

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. अध्यक्ष महोदय के सहायक निजी सचिव
2. सभी सदस्यों के निजी सचिव
3. सचिव के प्रधान निजी सचिव
4. अपर सचिव के निजी सचिव
5. निदेशक के निजी सचिव
6. अवर सचिव का कार्यालय
7. राष्ट्री अल्पसंख्यक आयोग के समस्त अधिकारी व कार्मिक
8. गार्ड फाइल/पुस्तकालय /सूचना पट्ट

सूचनार्थ प्रति :

श्री अनुराग बाजपेयी, संयुक्त सचिव (एस.एस) प्रभारी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, 11वां तल, पर्यभवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003